श्री जय सिंह, समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दिनांक 18.10.2017 को भू–अर्जन संबंधित मामलों का की गयी समीक्षा टिप्पणी।

1. **खगड़िया कुशेश्वर स्थान बड़ी रेल लाईन हेतु भू–अर्जन :–**

खगड़िया कुशेश्वर स्थान बड़ी रेल लाईन हेतु भू–अर्जन की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल 13 प्रस्तावों में से 12 प्रस्तावों में भू–अर्जन की कार्रवाई सम्पन्न हो गयी है। अधियाची विभाग को दखल कब्जा सौंप दिया गया है। शेष एक प्रस्ताव मौजा भदास का एस0आई0.ए0 कार्य हेतु ए0एन0 सिन्हा, इन्स्ट्टयूट ऑफ सोसल स्टडी, पटना को राशि भेजा गया है। धारा–4 के अंतर्गत नोटिफिकेशन किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को इस पर अग्रेतार कार्रवाई अविलम्ब करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

2. **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–31 एवं 107 :–**

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–31 एवं 107 की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि प्राप्त दो प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव एन0एच0 31 मौजा–महेशखूंट में गोलम्बर निर्माण के संबंध में अधियाची विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उन्हें भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रस्ताव एन0एच0 107 में मौजा बोरने में भू–अर्जन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर अधियाची विभाग से प्राक्कलन की राशि मांग की गई है, जो अप्राप्त है। इस कार्यालय के पत्रांक 693, दिनांक 30.11.2016 एवं कई स्मार भेजा गया है। जिला–भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि पुनः स्मारित करें।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

Rupak 23/10/17

3. **अलौली शहरबन्नी पथ के 8वें कि0मी0 में आर0सी0 सी0 पुल एवं पहूंच पथ निर्माण कार्यः–**

अलौली शहरबन्नी पथ के 8वें कि0मी0 में आर0सी0 सी0 पुल एवं पहूंच पथ निर्माण की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया से प्राप्त चार प्रस्तावों में पूर्व में 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है। अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत भुगतान किया गया है। इस योजना में इस समय आवार्ड (Award) घोषित नहीं किया गया था इसलिए नये अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुनः दर निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को 15 दिनों के अन्दर प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

4. <u>खगड़िया सोनमनकी घाट में आर0सी0सी0 पुल, पहूंच पथ एवं गाईड बांध निर्माण कार्य :–</u>

खगड़िया सोनमनकी घाट में आर0सी0सी0 पुल, पहूंच पथ एवं गाईड बांध निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया से प्राप्त 05 प्रस्तावों में एस0आई0ए0 प्रतिवेदन पर विशेषज्ञ समूह से मूल्यांकन प्राप्त हो चुका है। धारा–11 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत किया जा रहा है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को दो दिनों के अन्दर धारा–11 के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

5. <u>सुलतानगंज अगुआनी धाट आर0सी0सी0 पुल एवं पहूंच पथ निर्माण कार्य :–</u>

सुलतानगंज अगुआनी धाट आर0सी0सी0 पुल एवं पहूंच पथ निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया से 20 प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें 13 प्रस्तावों पर एस0आई0ए0 प्रतिवेदन पर विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त है। धारा–11 के अंतर्गत अधिसूचना तैयार किया जा रहा है। शेष 7 प्रस्तावों का एस0आई0ए0 के प्रारूप प्रतिवेदन पर जन सुनवाई हेतु दिनांक 12.10.2017 को सुनवाई हो चुकी है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को एक सप्ताह के अन्दर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

6. <u>समाहर्त्ता, आरक्षी अधीक्षक, सिविल सर्जन, सत्र न्यायाधीश, उप समाहर्त्ता एवं अन्य कर्मियों के आवास हेतु :–</u>

समाहर्त्ता, आरक्षी अधीक्षक, सिविल सर्जन, सत्र न्यायाधीश, उप समाहर्त्ता एवं अन्य कर्मियों के आवास हेतु दर निर्धारण की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अपर समाहर्त्ता के यहां संचिका भेजा गया। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि संचिका का निष्पादन कराकर दस दिनों में आवार्ड घोषित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

7. <u>आर0ओ0बी0 :–</u>

आर0ओ0बी0 की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया से अधियाचना प्रस्ताव प्राप्त है इसकी जांच की जा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को एक सप्ताह के अन्दर प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,खगड़िया)

8. <u>बलकुण्डा पुनर्वास :–</u>

बलकुण्डा पुनर्वास की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि मौजा बलकुण्डा में पुर्नवास हेतु 80 प्रतिशत का भुगतान किया गया है शेष भुगतान बाकी है। भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि भुगतान से पूर्व इसकी जांच कर लें कि किन–किन किसानों को कितनी–कितनी राशि का भुगतान किया गया है और शेष कितना बाकी है।

(अनुपालन– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,खगड़िया)

9. <u>खुटिया मौजा :–</u>

खुटिया मौजा की समीक्षा की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खुटिया मौजा में 80 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इसमें फाईनल एवार्ड (Award) हुआ है कि नहीं इसकी जांच कर ली जाए।

(अनुपालन– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,खगड़िया)

ह0/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक......475....../भू–अर्जन, दिनांक......23-10-17......

प्रतिलिपि : जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।